

फर्द अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय जमवारामगढ़,
 जयपुर

शशिकान्त व अन्य बनाम मांगीलाल व अन्य

वाद पत्र संख्या /०४/ 2021

19-08-2021

वादी की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल बैरवा ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,188 आर. टी.एक्ट. में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी हो। पत्रावली दिनांक ...19/10/21... को पेश हो।

(विश्वामित्र मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ़

20/10/21

दिनांक 19/10/21 का उत्तर पत्र
 को न आज पत्रावली पेश
 हुई वकील वादी उपस्थित
 पत्रावली दिनांक 24/11/21
 को कोर्ट आगपुरकाला में पेश हो

24/11/21

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के
 संग अभियान 2021 केन्द्र (आगपुरकाला)
 में पेश हुई। समय पलों में सहजति
 नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
 24/11/21 को पेश हो।

शिविर प्रभारी
 उपखण्ड अधिकारी
 जमवारामगढ़ (जयपुर)

21/12/21

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सघ द्वारा
 कण्डोलेंस/कार्य का बहिष्कार करने पर
 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक.....पेश हुई।

24/1/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा

फण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/4/22 पेश हुई

19/4/22 पत्रावली पेश हुई। वकील वाकी 3907

पत्रावली पूर्वानुसार वासी तजवी/वकील वाकी 3907 द्वारा

दिनांक 21/06/2022 को पेश है

उपर्युक्त अधिकारी
जनकपुर, जिला-मधुवा

21/6/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा

फण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/06/22 पेश हुई

118/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच द्वारा

फण्डोलेस/कार्य का बहिष्कार करने पर

पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/10/22 पेश हुई

17/10/22

पत्रावली/पेश हुई। वकील वाकी 3907

पत्रावली की अवलोकन किया गया।

अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली

में आदिमांक तक तलबी हेतु नोटिस

भरकर पेश नहीं किया गया। इनका कल

की अवलोकन किया गया। वकील वाकी 3907

के आदेशों की पालना नहीं की। अतः

पत्रावली के आधिकारिक खरबित रखते हुए

उक्त पत्रावली के आदेशों 9 दिनांक 5 सी.डी.टी.

की वरत खारिज किया जाता है। पत्रावली

के अंतर्गत 23 अंक के अंतर्गत कलक

के वाद प्रति हेतु के अंतर्गत 5 अंक

है।

उपर्युक्त अधिकारी
जनकपुर, जिला-मधुवा